न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय सहारनपुर।

वाद संख्या 3525/2023

गुलबहार बनाम तबरेज आदि

27.02.2024

पत्रावली पेश हुई। बार–बार पुकार कराये जाने पर कोई उपस्थित नहीं है और न ही कोई तिथि स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि उक्त वाद में परिवादी के बयान अ0 धारा 200 दं0प्र0सं0 हेतु काफी लंबे से लंबित चली आ रही है। परन्तु परिवादी बयान 200 दं0प्र0सं0 अंकित कराने हेतु न्यायालय में उपस्थित नहीं आ रहा है। परिवादी को अंतिम अवसर भी दिया जा चुका है। परिवादी के इंतजार में अनंतकाल तक वाद की कार्यवाही विलंबित नहीं की जा सकती है। ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपना परिवाद नहीं चलाना चाहता है। अतः परिवादी का परिवाद धारा 203 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत निरस्त किये जाने योग्य है।

तद्नुसार परिवादी द्वारा प्रस्तुत वाद सं0 3525/2023 धारा 203 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत निरस्त किया जाता है। पत्रावली वाद आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वितीय
सहारनपुर।